पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC कम्प्यूटराइजेशन-(S/W)-(2011-12) / 918 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

दिनॉक // लखनऊ // फरवरी, 15, 2012

महोदय,

विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित विभिन्न आन-लाइन सेवाओं में से कतिपय सेवाओं के उपयोग की सुविधा वेबसाइट पर Activate करने का कार्य अभी तक लोकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जाता था । हाल में अनेक नयी सेवायें जैसे- केन्द्रीय फार्म डाउन लोडिंग, ई-रिटर्न पासवर्ड जारी करना व ई-रिफण्ड प्रार्थना पत्र आदि प्रारम्भ करने के परिणामस्वरुप लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पर कार्य का बोझ काफी बढ़ गया था । अत: इस समस्या के समाधान के लिये यह उचित पाया गया कि यह समस्त कार्य कर निर्धारण अधिकारियों को दे दिये जायें । तद्नुसार अब वेबसाइट पर लिये जाने वाले आन-लाइन सेवाओं से सम्बन्धित निम्न कार्य खण्ड के डिप्टी कमिश्नर व असिस्टेन्ट कमिश्नर को दे दिये गये है:-

(1) ई-रिटर्न पासवर्ड के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत केन्द्रीय पंजीयन के विवरण में उल्लिखित वस्तुओं को allow / disallow करने का कार्य ।

(2) फार्म-38, फार्म-31 व फार्म-21 के आन-लाइन डाउन लोड की सुविधा दिये जाने का कार्य ।

(3) व्यापारी द्वारा ई-रिटर्न एवं फार्म डाउन लोड के लिये पंजीकृत कराये गये ई-मेल पतों में परिवर्तन का कार्य ।

(4) व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत ई-रिफण्ड के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के पश्चात् इसकी प्रविष्टि वेबसाइट पर करने का कार्य ।

(5) आन-लाइन फार्म-सी जारी करने के लिये व्यापारियों द्वारा वैट ई-रिटर्न के Annexure-C में प्रस्तुत खरीदों की सूची की जॉच करते हुये विभिन्न संव्यवहारों के लिये फार्म-सी जारी करने की अनुमति देने का कार्य ।

2- खण्ड के डिप्टी कमिश्नर व असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा उक्त कार्य अपने-अपने स्तर के व्यापारियों के सम्बन्ध में किये जायेगें परन्तु वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के व्यापारियों से सम्बन्धित उक्त कार्य भी खण्ड के असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा किये जायेगें । इसके लिये उनकी Login पर वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के व्यापारी भी उपलब्ध रहेगें ।

3- कारपोरेट सर्किल के व्यापारियों के सम्बन्ध में उक्त समस्त कार्य सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) द्वारा किये जायेगें ।

4- उपरोक्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिये आपके जोन के समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) एवं खण्डों के डिप्टी कमिश्नर व असिस्टेन्ट कमिश्नर को उनके पदनाम से जारी किये गये User ID व Password ई-मेल से अलग से भेजे जा रहे हैं । अधिकारी विभागीय वेबसाइट http:// comtaxup.nic.in पर जाकर एवं अपने User ID एवं Password से Login कर आन-लाइन सेवाओं से सम्बन्धित उक्त कार्य सम्पादित कर सकेगें ।

कृ0 पृष्ठ-2 पर

5- कृपया अपने अधीनस्थ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) व खण्डो के डिप्टी कमिश्नर व असिस्टेन्ट कमिश्नर को अपने स्तर से उक्त User ID व Password उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा उन्हें यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह Password प्राप्त होने के तत्काल बाद इसे परिवर्तित कर लें।

भवदीय,

ह0/-
(एम0के0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- श्री संजय चटर्जी, PSA, NIC योजना भवन, लखनऊ।

ह0/-
ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।